न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–235 / 2017

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम प्रशान्त कुमार

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25/2/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–1635 / गो0 (नगर पुलिस अधीक्षक, दरभंगा का कार्यालय) दिनांक–20.10.2017 से प्राप्त विश्वविद्यालय थाना कांड सं0–224 / 17 दिनांक 22.09.2017 में बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त मारूति–800 कार रजि0 नं0–BR01N-8434 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गयी। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल गुप्त सूचना के आधार पर कगवा गुमती के पश्चिम गेट के पास उक्त वाहन मारूति–800 कार पंजीयन सं0–BR01N-8434 में चार सूत के बोरा में से नेपाल निर्मित 300*ml* का 625 सीलबन्द प्लास्टिक का बोतल में देशी शराब बरामद हुआ, जिसे विधिवत् जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। अतः जब्त वाहन का राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी की ओर से विद्वान् अधिवक्ता का कथन है, विपक्षी उक्त वाहन को शपथ पत्र के माध्यम से दिनांक 22.06.2017 को ही मदन प्रसाद साह, पिता–सूर्य नारायण साह के हाथ बेच दिया, जिसका ओथ नं0–956 / 17 दिनांक 22.06.2017 है। उक्त जब्त वाहन से विपक्षी को कोई सरोकार नहीं है। उभयपक्ष को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त जब्त वाहन मारूति–800 कार रजि0 नं0–BR01N-8434 से भारी मात्रा में 300*ml* का 625 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद हुआ है, जिसे पुलिस बल द्वारा विधिवत् जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त मोटरसाईकिल का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी की ओर से दाखिल कारण पृच्छा में कथन है कि विपक्षी उक्त वाहन को दिनांक 22.06.2017 को ही शपथ पत्र के माध्यम से बेच चुके हैं। उन्हें उक्त वाहन से कोई सरोकार नहीं है। किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उक्त जब्त वाहन के विमुक्ति हेतु दावा भी नहीं किया गया। माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0	

सं0–5049 / 2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में विश्वविद्याय थाना कांड सं0–224 / 17 दिनांक 22.09.2017 में जब्त वाहन मारूति–800 कार रजि0 नं0–BR01N-8434 को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, उत्पाद, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा